न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

अपील सं0 12/2019

1. मांगेराम पुत्र श्री जोधासिंह जाति राजपुत निवासी रासलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। – अपीलांट

बनाम्

1. बृजलाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी कनाउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. तहसीलदार (राजस्व) भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़। –रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2019 प्रकरण स0 8/2018 बअनवानी स्टेट बनाम बृजलाल तहसीलदार राजस्व भादरा

उपस्थितः– श्री मदनमोहन जोशी, अधिवक्ता, अपीलांट

श्री विजय कौशिक, अधिकवक्ता, रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांकः–

अपील अपीलांट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

1. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.02.2019 बअनवानी स्टेट बनाम बृजलाल प्रकरण स0 08/2018 बअदालत तहसीलदार राजस्व भादरा विधि की अवहेलना में बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के तथा बिना किसी जांच के गैर कानूनी ढ़ग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।
2. रेस्पो0 स0 1 ने दिनांक 29.01.2018 को मातहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि मृतक लादुराम पुत्र श्योजी राम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा की रोही मौजा रासलाना तहसील भादरा के ख0न0 29 की 0.5310 हैक्ट0, ख0 न0 24 की 2.8460 हैक्ट0 भूमि कुल 3.3770 हैक्ट0 भूमि लादुराम ने दिनांक 10.07.1976 को वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दी थी। लादुराम का देहान्त हो चुका है। उक्त वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने के आदेश फरमाये आदि–आदि किया जिस पर मातहत अदालत ने पटवारी की रिपोर्ट सार्वजनिक सूचना व गवाहों के बयान आदि तारीख पेशी मुकर्र की एवं दिनांक 20.02.2018 को मातहत अदालत के समक्ष अखबार प्रतियां पेश होना बताया तथा दो गवाह फुलाराम व बेगराज के शपथ पत्र पेश करना अभिकथित किया दिनांक 05.

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

03.2018 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पेशी पर ली गई तथा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि इन्तकाल रूकवाया जावें। मातहत अदालत उजरकर्ता अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का कोई अवसर नही दिया तथा नोटिस अपीलांट की अनपढ़ पत्नी पर तामिल होना बताकर सुनवाई व साक्ष्य का मौका नही दिया। मातहत अदालत ने दिनांक 12.02.2019 को बिना बहस सुने अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना नैसर्गिंक न्याय की अवहेलना में निर्णय पारित किया है जो अपास्तनीय है।

3. मातहत अदालत के समक्ष वसीयत दिनांक 16.06.1976 प्रस्तुत की गई उक्त वसीयत ड्येवेली अटेस्ड नहीं थी। ना ही सत्यापित थी तथा ना ही रजि0 थी। मातहत अदालत ने उक्त तथाकथित वसीयत दिनांक 10.06.1976 की प्रोपर जांच नही की लादुराम का जो अंगुठा लगाया दर्शित किया गया है वह रेवन्यूटिकट पर लगाया गया है जो केवल परनोट पर लगाया जाता है। वसीयत पर 7–8 आदमियों के अंगुठे व हस्ताक्षर दर्ज किये गये है जबकि वसीयत में केवल मात्र दो गवाहन दर्ज किये जा सकते है इनके अतिरिक्त दिनांक 21.08.1976 को वसीयतकर्ता की मृत्यु होना बताई है। करीबन सवा दो माह का अन्तर बताया गया है। जिस दिन वसीयत लिखना बताया है उस दिन लादुराम बयान देने की स्थिति में नही था अर्थात बीमार था तथा अपीलांट के घर पर था। लादुराम द्वारा अंगुठा वसीयत पर नहीं लगाया गया है, लादुराम के स्थान पर किसी दिगर व्यक्ति को खड़ा करके अंगुठा लगाया है। फर्जकारी तौर पर उक्त वसीयत तैयार की गई है सिजके अतिरिक्त बृजलाल पुत्र नत्थुराम रेस्पो0 स0 1 रासलाना का निवासी नही है, कणाउ का निवासी हे इसलिए उक्त वसीयत संदिग्ध की मातहत अदालत ने समस्त तथ्यों की कोई जांच नही की इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

4. लादुराम वल्द श्योराम के नाम से जो तथाकथित वसीयत है उसमें खन0 99 व 124 की 13 बीघा 6 बिस्वा भुमि व मकान कच्चा, सौ भेड़ अर्थात चल व अचल सम्पति के विलेख यानि उक्त तथाकथित वसीयत कम्पोजिट विलेख था जिसके विषय में मातहत अदालत को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नही था तथा कम्पोजिट विलेख में केवल सिविल न्यायालय ही सुनवाई कर सकता है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय गैर कानूनी ढ़ंग से पारित होने के कारण अपास्तनीय है।

5. मातहत अदालत के समक्ष फुलाराम वल्द नन्दराम जाति जाट निवासी कलाना व बेगराज पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी के बयानों के रूप में रेस्पो0 स0 1 ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। दोनों ही रासलाना गांव के निवासी नही है तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

उक्त दोनों के वाद भूमि पर बृजलाल रेस्पो0 स0 1 का कब्जा बताया है जबकि पटवारी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2018 में मांगुसिंह उर्फ मांगेराम अपीलांट का कब्जा बताया गया है इसलिए रेस्पो0 स0 1 द्वारा प्रस्तुत गवाहन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। मातहत अदालत ने उपरोक्त कानूनी बातों को नजर अन्दाज किया है इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्तनीय है।

6. मृतक लादुराम पुत्र श्योजी राम जाति जाट निवासी रासलाना द्वारा उपरोक्त वाद भूमि की वसीयत अपीलांट के पक्ष में कि गई थी तथा अपीलांट ने ही मृतक लादुराम की सेवा सुश्रुषा की थी। उक्त बात का पता पुरे रासलाना गांव को है रेस्पो0 स0 1 ने फर्जी व नुमाईशी तथा कथित वसीयत अपने पक्ष में नाम करवाई है जिसमें रासलाना गांव का एक भी गवाहन नहीं है। भूमि को हमेशा से अपीलांट ही काश्त करता रहा है जो पटवारी रिपोर्ट से साबित है। अपीलांट व्यथित पक्षकार है दफा 96 सीपीसी के तहत बतौर तृतीय पक्षकार अपील अपीलांट प्रस्तुत कर रहा है।

7. मातहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय तथाकथित वसीयत में वर्णित कच्चा मकान व सौ भेड़ के विषय में कोई फाईंडिंग नही दी तथा ना ही कोई जांच की। वसीयत दिनांक 10.06.1976 में की गई वसीयत में वर्णित सौ भेड़ व एक कच्चा मकान के विषय में मातहत अदालत ने कोई निर्णय पारित नही किया तथा सम्पति के स्वअर्जित होने की कोई जांच नही की। अपीलांट को मातहत अदालत ने पक्षकार नही बनाया तथा वाद भूमि कब्जा बाबत काई विवरण नही दिया इसलिए अपीलाधीन निर्णय विधि की अवहेलना में पारित होने से अपास्तनीय है।

8. अपीलाधीन निर्णय की सूचना अपीलांट को नही दी गई। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.04.2019 को मातहत अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 30.04.2019 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी जिस पर दिनांक 18.04.2019 को मातहत अदालत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया दिनांक 3004.2019 को प्रमाणित प्रति नकल निर्णय प्राप्त की। प्रकरण मेरिटोरियस है जिस पर मियाद अधिनियम लागु नही होता है फिर भी दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 12.02.2019 प्रकरण स0 08/2018 बअनवानी स्टेट बनाम बृजलाल बअदालत श्रीमान तहसीलदार राजस्व भादरा अपास्त फरमाया जावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 10.07.1976 को 3.3770 हैक्टयर भूमि की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में कर दी थी। दिनांक 20.02.2018 की अखबार प्रतियां भी पेश की थी। अपीलांट को सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया। दिनांक 10.07.76 को की गई वसीयत प्रोपर अटेस्टेड नही थी ना ही स्थापित व ना ही रजि0 थी। लादुराम का जो अंगूठा लगाया गया है वह रेवेन्यू टिकट पर लगाया गया है। वसीयत पर 7–8 आदमियों के अंगुठे व हस्ताक्षर है जबकि वसीयत में केवल दो ही गवाहन दर्ज किये जाते है। दिनांक 21.08.1976 को वसीयतकर्ता की मृत्यु होना बताई है। करीबन सवा दौ माह का अन्तर बताया गया है। बृजलाल पुत्र नत्थुराम रेस्पो स0 1 रासलाना का निवासी ना होकर कणाउ का निवासी है। अधिनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की कोई जांच नही की। अपीलांट ने ही मृतक लादुराम की सेवा सुश्रुषा की थी। दिनांक 10.06.1976 को की गई वसीयत में वर्णित सौ भेड़ व एक कच्चा मकान के बारे में मातहत अदालत में कोई निर्णय नही किया गया।

अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयत पर सार्वजनिक सूचना आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु जारी की। प्रश्नगत प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के तहत पारित किए आदेश की परिभाषा में आने के कारण ऐसे आदेश की अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय में हम उपस्थित हो गयें। दुफा 5 मियाद अधिनियम का जवाब दे दिया। विचारणीय न्यायालय में उस समय कोई वसीयत पेश नही की। वसीयत बाद में पेश की गई है पूर्व में कोई उल्लेख नही किया। अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय में खुद उपस्थित हुए थे अतः इनको ज्ञान था। वसीयत में दो गवाह है। सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की गई थी तथा वसीयत मौखिक भी हो सकती है। अटेस्टेड जरूरी नहीं । अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जांच कर निर्णय किया है । अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने 1995 आरबीजे पेज न0 82, आआरटी 2099 पेज न0 432, आरआरटी 2055 पेज न0 211, आरआरटी 2015 पेज न0 232, आरबीजे 2019 पेज न0 20 व आरआरटी 2017 पेज न0 117 के न्यायिक दृष्टांत पेश कर अपील खारिज हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलांट ने पुनः बहस में निवेदन किया की अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 22.03.2018 की ऑर्डर सीट के बाद में सुनवाई का अवसर नही दिया। वसीयत सही नही

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

है संदिग्ध है। मृत्यु का प्रमाण नही है। भूमि कहां से आई जांच नही किया। दुसरे गावं के गवाह है। हमारी वसीयत फर्जी थी तो एफआईआर करवाते।

बहस पर मनन किया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नही दिया। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार पक्षकारों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व) भादरा का निर्णय दिनांक 12.02.2019 अपास्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ [illegible] R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर(हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)